उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद

पत्रांक : मा0शि0से0च0बो0/चयन/ 1345 /2017–18 दिनांक 21-6-2017

विज्ञप्ति

चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या–मा0शि0च0बो0/चयन/1312/2017–18 दिनांक 18.05.2017 द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2013 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी की चयनित सूची जारी की गयी थी। इस सूची में श्री अरविन्द कुमार सिंह अनुक्रमांक 110104722 का चयन सामान्य श्रेणी में क्रमांक 300 पर किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15272/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 के स्थगन आदेश के अनुपालन में सामान्य श्रेणी का एक पद कम होने के कारण अन्तिम चयनित अभ्यर्थी श्री अरविन्द कुमार सिंह का चयन अमान्य कर दिया गया था।

श्री अनूप कुमार सिंह अनुक्रमांक 020109184 का चयन सामान्य श्रेणी में क्रमांक 156 में हुआ है। श्री अनूप कुमार सिंह ने शपथ पत्र दिनांक 17.06.2017 के माध्यम से चयन बोर्ड को लिखा कि उनकी नियुक्ति प्रवक्ता हिन्दी के पद पर किसान इ0का0, सरैया, राजा साहब, सीतापुर में हुआ है और उन्होंने दिनांक 12.04.2017 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में उनका चयन प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी के पद से निरस्त कर दिया जाय।

श्री अरविन्द कुमार सिंह अनुक्रमांक 110104722 का चयन केवल एक पद के अनुपलब्धता के कारण अमान्य किया गया था। श्री अनूप कुमार सिंह के चयन के निरस्त हो जाने के फलस्वरूप श्री अरविन्द कुमार सिंह अनुक्रमांक 110104722 के चयन को मान्य करते हुए उन्हें आदर्श ग्रामीण इण्टर कालेज, चन्दक, बिजनौर संस्था आवंटित की जाती है। श्री अनूप कुमार सिंह अनुक्रमांक 020109184 पुत्र श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम–अजईमऊ, पो0–मझेला, जिला–बाराबंकी–225415 को उनके चयन की निरस्तीकरण की सूचना भेज दी जाय।

21.6.17

सचिव

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,

इलाहाबाद।